कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्तीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से जिसे 25 फरवरी, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से, जिसे 25 फरवरी, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. STRIKE BY U. P. DEGREE COLLEGE TEACHERS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम उस विशेष वक्तव्य पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस समय पर चर्चा चाहते हैं, तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता। उसे इस समय नहीं लिया जा सकता।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब निम्नलिखित प्रस्ताव पर, जिसे 20 फरवरी, 1969 को श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किया गया और श्री दशरथ राम रेड्डी द्वारा अनुमोदित किया गया था, और आगे विचार-विमर्श करेगी; अर्थात् :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये" :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने 17 फरवरी, 1969 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रधान मंत्री अब वाद-विवाद का उत्तर देंगी।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्य रूप से जिन विषयों को उठाया गया उनका सम्बन्ध कृषि तथा उद्योग के विकास से है। थोड़े दिन हुए, मैं इस विषय पर बोली थी

और थोड़े दिन बाद मेरे सहयोगी उप प्रधान मंत्री उन कार्यवाहियों का संकेत देंगे जो हमने मूल्य-वृद्धि रोकने के लिये की हैं। कृषि-क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है जिससे राष्ट्रीय आय गत वर्ष की अपेक्षा 9.1 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 1968 के पहले नौ महीनों का औद्योगिक सूचकांक 159.3 है जो वर्ष 1967 में इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में 5.6 प्रतिशत अधिक हैं। भुगतान-सन्तुलन भी गत वर्ष की अपेक्षा अच्छा है। हमारे निर्यात बढ़े हैं और आयात कम हुए हैं। यह सच है कि इस वर्ष बारिस काफी अच्छी हुई है लेकिन सरकार की कृषि सम्बन्धी नई नीति तथा नये कार्यक्रमों ने हमारे किसानों को वर्षा का पूरा-पूरा लाभ उठाने में योगदान दिया है। फिर भी यह हमारे किसानों के कठिन परिश्रम तथा लगन का ही फल है कि उन्हें इतनी अच्छी फसल प्राप्त हुई है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले किसी अवसर पर कहा है, यह सब कुछ संभव बनाने में हमारे उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा अन्य लोगों के कठिन परिश्रम, अध्यवसाय तथा कल्पना का योगदान भी हैं जो एक्सटेंशन कार्य आदि के सिलसिले में विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ ऐसी बातों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है जहां इतनी प्रगति नहीं हुई है कि हम उससे सन्तुष्ट हो सकें अथवा जो चिन्ता का विषय बन गई है और जिनसे बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि मशीन निर्माण क्षेत्र में कुछ उद्योगों के उत्पादों की मांग उनकी क्षमता की तुलना में अपर्याप्त रही है। हम इस बात को पूरी तरह महसूस करते हैं और इन मंत्रालयों से सम्बन्धित मेरे सहयोगियों ने भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही उपक्रमों से सम्बन्धित प्रबन्ध तथा अन्य मामलों में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। हमने इस बात से न तो इन्कार किया है और न ही उसे किसी तरह छिपाने की कोशिश की है। इस स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने, समीक्षा करने तथा उसमें सुधार करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे है।

कृषि को हमारी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और देश के बहुत से भागों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सबकी राय एक हैं। इस बारे में राजस्थान, तेलंगना, रायलसीमा आदि का उल्लेख किया गया है। उत्तर मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अन्य क्षेत्र हैं। वास्तव में प्रत्येक राज्य में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता है। एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग पिछले वर्षों से घट रही घटना को दृष्टि में रखते हुए इन आवश्यकताओं तथा कार्यक्रमों के बारे में विचार करेगा।

जहां तक देश में गरीबी का सम्बन्ध है, मैं मानती हूं कि देश में अब भी गरीबी है लेकिन इतने बड़े देश, इतनी अधिक जनसंख्या और उन समस्याओं को जिनका हमें सामना करना पड़ा है देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, पर जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य समस्याओं के कारण कठिनाइयां बनी हुई हैं।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, यह सच है कि हम पूरी तरह आत्म-निर्भर नहीं हैं

लेकिन हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और गेहूं के मामले में हम आत्म-निर्भरता के निकट हैं लेकिन चावल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ दूर हैं। शुष्क खेती का उल्लेख किया गया है। उन क्षेत्रों की ओर हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं जहां अभी तक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। ऐसे क्षेत्रों में बीजों की नई किस्मों तथा और अधिक गहन खेती के अन्य तौर-तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है और शुष्क क्षेत्रों के लिये उपयुक्त बीजों की किस्मों के बारे में अनुसंधान कार्य चल रहा है।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण का सम्बन्ध है ऐसा अनुमान है कि देश में कुल 1 करोड़ 60 लाख हैक्टेकड़ भूमि बाढ़-ग्रस्त हो सकती है। वर्ष 1953 से 1967 तक की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 60 लाख हैक्टेकड़ भूमि बाढ़-ग्रस्त रही है जिसमें से लगभग 20 लाख हैक्टेकड़ भूमि में फसल थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप 62 लाख हैक्टेकड़ भूमि को बाढ़ों से बचाने की उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

देश के विभिन्न भागों में कहीं बाढ़-ग्रस्त होने तथा कहीं सूखा-ग्रस्त होने के कारण तथा प्राकृतिक प्रकोपों का साथ-साथ मुकाबला करने में हमें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है लेकिन सरकार ने उनकी ओर यथाशीघ्र ध्यान दिया है और हर संभव रूप से सहायता दी है। पश्चिम बंगाल के लिये कुल 23.73 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है जिसमें से 17.50 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं, इसी प्रकार राजस्थान के मामले में 8.96 करोड़ रुपये की सहायता के लिये सहमति दी जा चुकी है और स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये अगले महीने में एक विशेषज्ञ दल वहां जा रहा है जो उसकी आवश्यकताओं के बारे में और आगे सिफारिश करेगा।

इस अवधि में रेलवे ने विभिन्न रियायतें तथा सुविधाएं प्रदान की है और खाद्य सामग्री तथा चारे के लाने-ले जाने में बहुत बड़ा काम किया है और बाढ़-ग्रस्त तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की सराहनीय सेवा की है।

बेरोजगारी सरकार तथा जनता दोनों के लिये भारी चिन्ता का विषय बन गई है। इस समस्या को, जिसका उन्नत देशों को आज तक सामना करना पड़ रहा है, हम केवल आर्थिक प्रगति के माध्यम से ही हल कर सकते हैं। बड़ा देश होने तथा बहुत तेजी से उसकी बढ़ रही जनसंख्या के कारण, स्वभावत: हमारे सामने विशेष समस्याएं हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम ही होगा कि योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की हुई है जो रोजगार, बे-रोजगारी आदि के विभिन्न पहलुओं पर अपना सुझाव देगी। यह प्रतिवेदन इस महीने के मध्य में मिलने की सम्भावना है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार में 1960-61 से लेकर 1965-66 तक लगभग 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की प्रतिशतता में भी काफी वृद्धि हुई है। 1961 और

1968 के बीच व्यापार और वाणिज्य में लगभग 112 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं तथा विद्युत और प्रदाय में भी 53.8 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी बहुत वृद्धि हुई है। परन्तु हम पढ़े-लिखे लोगों में विशेषकर इंजीनियरों में, बे-रोजगारी की समस्या के बारे में बहुत चिन्तित हैं।

कुछ दिन हुये एक माननीय सदस्य साक्षरता की समस्या की बात कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण समस्या हैं और हम इसे महत्व देते भी हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना हैं। परन्तु इस क्षेत्र में हमने जो कुछ सफलता प्राप्त की है उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। योजनाबद्ध विकास की पहली शताब्दी में इस देश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। इसके अलावा हमारे देश में काफी परिवर्तन आ गया है। चाहे आप गांवों में जाकर देख लें या कहीं और जाकर देख लें हमारे जो लोग पढ़-लिख भी नहीं सकते हैं वे भी अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत रहते हैं। उनका पूर्ण दृष्टि-कोण अब बदलता जा रहा है।

हरिजनों तथा अन्य अनुसूचित जातियों के लोगों की समस्या पर हम तिरन्तर रूप से विचार कर रहे हैं। निस्सन्देह यह एक गम्भीर समस्या है। इस सम्बन्ध में हम बहुत कुछ कर भी चुके हैं तथा भविष्य में इसकी और दशा सुधारने के लिये हम ठोस कार्यवाही कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं और दूसरे नीच हैं। परन्तु हम सब जानते हैं कि पिछड़ी जाति आदि नाम की कोई चीज नहीं हैं। यदि कोई लोग पिछड़ जाते हैं तो इसलिये क्योंकि उन्हें शिक्षा आदि के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं। जहां कहीं भी हरिजनों पर प्रहार किया गया है उससे राष्ट्र के नाम पर धब्बा लगा है। उनकी रक्षा के बारे में संविधान में अवश्य ही व्यवस्था है परन्तु हम लोगों के मानसिक दृष्टिकोण को नहीं बदल सके हैं। इसलिये हमें लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

शिव सेना के प्रश्न पर हम पहले चर्चा कर चुके है। सभी दलों ने उनकी कार्यवाही की निन्दा की हैं। ऐसे संगठनों की गतिविधियों को केवल सरकार ही समाप्त नहीं कर सकती। इसके लिये सभी दलों को सहयोग प्रदान करना चाहिये। आचार्यजी ने कानून और व्यवस्था की बात कही थी। इसमें सन्देह नहीं कि कानून और व्यवस्था बनाये रखना सरकार का काम है परन्तु ये समस्यायें केवल कानून और व्यवस्था से ही सम्बन्धित नहीं हैं। लोग कुछ मामलों के सम्बन्ध में जोश में आ जाते हैं तथा उनके जोश को हमेशा लाठी से नहीं दबाया जा सकता। इसलिये सभी उत्तरदायी व्यक्तियों को यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहिये कि चाहे कोई भी समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो और चाहे उनके बारे में उन्हें कितना ही जोश क्यों न आया हो वे हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे और न किन्हीं अन्य व्यक्तियों को करने देंगे।

प्रो० रंगा ने एकीकरण परिषद् का उल्लेख किया था। हम ऐसे परिषद् से तुरन्त परिणामों की आशा नहीं कर सकते। परन्तु फिर भी मैं समझती हूं कि यह बात प्रशंसनीय थी कि

विभिन्न दल इकट्ठे बैठकर कम से कम कुछ बातों पर तो सहमत हो गये थे। मैं समझती हूं कि वह अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करेंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे क्योंकि उनके शामिल न होने से कोई सहायता तो मिलती नहीं है।

कुछ सदस्यों ने राज्यों के आपसी विवाद का उल्लेख किया था। आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के संसत्सदस्य मेरे पास आये थे तथा उससे पहले महाराष्ट्र के संसत्सदस्य मेरे पास आये थे। यह बात स्वीकार कर ली गई है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप दिया जाये। परन्तु क्षेत्राधिकार तथा निर्देश पदों के सम्बन्ध में अभी आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र सीमा विवाद का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहती। परन्तु हमें इस बात पर अवश्य बल देना चाहिये कि इस मामले पर ठंडे दिल और सहयोग से काम करना चाहिये। सरकार दबाव के आगे कभी झुक नहीं सकती है। मध्यावधि चुनावों के बाद कुछ कार्यवाही करने का विचार किया गया था तथा मैं दोनों मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत करने की आशा बनाये हुई थी परन्तु बम्बई में कुछ घटनाएं हो जाने के कारण यह सारा कार्यक्रम अस्तव्यस्त हो गया। इसलिये यदि निर्णय करने में देरी हो भी जाये तो भी हमें उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमारा बुनियादी उसूल तो मिलकर रहने का है। हमें यह देखना चाहिये कि राज्य आपस में मिल-जुलकर रहें।

मध्यावधि चुनावों के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहती। मैं पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकारों का स्वागत करती हूं। हम इन राज्यों को पूरा सहयोग देंगे। हम सबको यह महसूस करना चाहिये कि हमारा उद्देश्य सारे राष्ट्र का कल्याण करना और उसके लिये समृद्धि प्राप्त करना है। इसी तरह से प्रत्येक राज्य को, चाहे उसमें किसी दल की सरकार हो, यह समझना चाहिये कि उनका राज्य एक बड़े देश का अंश है। इसलिये राष्ट्र की एकता कायम करना उनका कर्त्तव्य है।

हम सबसे अधिक महत्व युवकों की समस्याओं की ओर देती है। युवकों की न केवल यहां बल्कि अन्य देशों में भी नई मांगें होती हैं। उनमें अत्यन्त शक्ति होती है और वे नये रास्ते ढूंढ़ना चाहते हैं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं। सरकार को इन सब बातों का पता है तथा हम चाहते हैं कि हमारा शिक्षा मंत्रालय युवक सेवा की ओर विशेष ध्यान दे। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इसके लिये न केवल सरकार का बल्कि राजनीतिक नेताओं, अभिभावकों तथा सारे समुदाय का भी उत्तरदायित्व है।

विदेश नीति की कुछ तथाकथित असफलताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। मैं समझती हूं कि गत बीस वर्षों से हमने जो नीति अपनाई हुई है उसे आम जनता ने स्वीकार किया है। क्योंकि इस बजट अधिवेशन में विदेश नीति पर विस्तार से चर्चा करने के कई अवसर आयेंगे इसलिये मैं इसके बारे में अधिक न कहती हुई केवल सुरक्षा के बारे में ही कुछ कहना चाहूंगी। मैं यह अवश्य कहना चाहती हूं कि इस विशाल देश की रक्षा,

जहां 50 करोड़ लोग रहते हैं, तब तक नहीं की जा सकती जब तक लोग अपनी मातृ-भूमि की रक्षा करने के लिये अपना जीवन बलिदान करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये हमारी सुरक्षा देशभक्ति और लोगों की आत्म-बलिदान करने की भावना पर निर्भर करती है। दूसरे, हमारे देश की सुरक्षा हमारी औद्योगिक और आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है। ऐसी शक्ति के बिना हमें दूसरों की शक्ति पर निर्भर करना पड़ेगा तथा दूसरों की शक्ति स्थायी रूप से नहीं मिल सकती। इसके अलावा हमने देखा है कि सैनिक समझौतों से सुरक्षा की गारंटी नहीं की जा सकती। आज जिन देशों ने सैनिक समझौते किये भी हुये हैं वे भी अपने आपको असुरक्षित समझ रहे हैं। हर एक देश आज यह महसूस कर रहा है कि यदि उसने अपनी सुरक्षा करनी है तो उसे अपनी आर्थिक शक्ति सुदृढ़ करनी चाहिये। हमारी सुरक्षा सैनिकों के मनोबल और उनकी युद्ध करने की कुशलता पर भी निर्भर करती है इसलिये हमें उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। परमाणु शक्ति का भी उल्लेख किया गया था विशेषकर इसलिये क्योंकि हमारे पड़ौसी देशों के पास ऐसी शक्ति है। हमें इस बारे में आतंकित नहीं हो जाना चाहिये। हमें उस ओर अपने साधन जुटाने से अपने आर्थिक विकास को कम नहीं समझना चाहिये।

कुछ लोगों ने आलोचना करते हुये कहा था कि हम अकेले ही है और हमारा कोई मित्र नहीं है। परन्तु सच्चाई तो यह है कि हमारा विश्व में काफी सम्मान होता हैं और हम महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में योगदान देते हैं। एक समय था जब देशों की अपनी स्थिति बहुत मजबूत होती थी परन्तु आज ऐसी बात नहीं है। आज देश के सभी भागों में नई स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। केवल देशों का ही झगड़ा नहीं होता बल्कि हर देश के अन्दर झगड़े हो रहे हैं।

अतः जिन सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे उन्हें वापिस ले लें। मैं समझती हूं कि बहुत से संशोधन इस गलतफहमी से प्रस्तुत किये गये हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के प्रत्येक कार्य का उल्लेख होता है। परन्तु उसमें तो सरकार के सामान्य दृष्टिकोण और सामान्य नीति की बात कही जाती है। इसलिये मैं चाहूंगी कि आलोचना करने की बजाय हमें रचनात्मक काम करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं समझती हूं कि बहुत-सी त्रुटियों को दूर किया जा चुका है तथा अभी बहुत-सी समस्याओं को हल करना शेष है। हमें सही रास्ते पर चलना चाहिये केवल तभी हम देश के लोगों का जीवन अच्छा बना सकेंगे। अतः मुझे आशा है कि सारा सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

अध्यक्ष महोदय : लगभग 558 संशोधन है। माननीय सदस्य जिन-जिन संशोधनों पर जोर देना चाहते है और उन्हें पृथक् प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उनकी संख्या बता दें।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम्) : हम संशोधन संख्या 544, 545, 548 और 558 पृथक्रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : We want to press Amendment Nos. 1 and 13.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : We press Amendment No. 317 and 351.